भारतीय गणतंत्र की सरकार

और

कुवैत राज्य की सरकार

के बीच

खेल और युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग पर

समझौता ज्ञापन

भारतीय गणतंत्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा कुवैत राज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा और खेल लोक प्राधिकरण जिन्हें इसके बाद वैयक्तिक रूप से ''पक्ष'' के रूप में और संयुक्त रूप से ''पक्षों'' के रूप में उल्लिखित किया गया है , ने

युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को और बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने की इच्छा से

परस्पर लाभ के लिए खिलाड़ियों तथा संबंधित कार्मिकों पर केंद्रित कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से अपने सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए निम्नानुसार समझौता किया है:

अनुच्छेद ।

सामान्य उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के संबंधित राज्यों में लागू कानूनों और विनियमों तथा इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर खेल और युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद II
खेलों में सहयोग

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित के माध्यम से खेलों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगे:

क) विभिन्न खेल विधाओं यथा बैडमिंटन, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, निशानेबाजी, स्कवैश, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस और वालीबाल में युवा/ जूनियर खेल टीमों का आदान-प्रदान;

ख) बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से अनुभवों और विशेषज्ञता तथा आपसी विचार-विमर्श के आदान-प्रदान के लिए विशेषज्ञों, कोचों और अधिकारियों का आदान-प्रदान;

ग) प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, डोपिंग तथा खेलों से संबंधित अन्य विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग;

घ) खेलों के विकास के लिए साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान; और

ङ.) खेलों तथा इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर आपसी लाभ के आधार पर सम्मत क्षेत्रों में आवश्यक समझे गए अन्य विषय।

अनुच्छेद III
युवा कार्यक्रम में सहयोग

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित के माध्यम से युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगे:

क) युवाओं के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर एक दूसरे के सेमिनारों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भागीदारी तथा दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता को समझने की भावना को प्रोत्साहित करना;

ख) युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से शैक्षणिक तथा व्यावहारिक अनुभवों और विशेषज्ञता दोनों का आदान-प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों का आदान-प्रदान;

ग) युवाओं, युवा संबंधी नीतियों, युवा विकास कार्यक्रमोंऔर युवा संगठनों के बारे में साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान;

घ) युवा संगठनों और युवा विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 से 7 दिन की अवधि के लिए 10 से 20 युवाओं और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों से संबंधित युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान खेलों के विकास के लिए साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान; और

ड.) युवा कार्यक्रम तथा इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर आपसी लाभ के आधार पर सम्मत क्षेत्रों में आवश्यक समझे गए अन्य विषय।

अनुच्छेद IV
वित्तपोषण

दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित एक वार्षिक अनुसूची के अनुसार खेल शिष्टमंडलों, टीमों, कोचों, अधिकारियों और युवा समूहों का आदान-प्रदान किया जाएगा। मेजबान पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आगंतुक शिष्टमंडलों/टीमों के ठहरने के दौरान आवास, भरण-पोषण, आंतरिक भू परिवहन तथा आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा के लिए भुगतान मेजबान पक्ष करेगा। आगंतुक पक्ष दोनों पक्षों द्वारा सम्मत कार्यक्रम के अनुसार आतंरिक यात्रा सहित विमान वापसी टिकटों के लिए

भुगतान करेगा। किसी केवल एक पक्ष के हितों के संबंध में यात्रा के मामले में वही पक्ष समस्त व्यय का भुगतान करेगा।

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा तैयार करेगा, इसलिए इस पर हस्ताक्षर होने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद V
कार्यान्वयन

दोनों पक्ष बैठकों, पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अनुसार कार्यान्वयन और विकास पर सहमत होंगे। प्रत्येक पक्ष उस पक्ष से संबंधित अनुसूची के कार्यों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। दोनों पक्ष इसके कार्यान्वयन से पूर्व वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुसूचियों पर हस्ताक्षर करेंगे।

दोनों पक्ष एक संयुक्त समिति बनाएंगे जिसमें दोनों देशों के अधिकारी होंगे जो इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अनुसार सहयोग के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तैयार करने हेतु बैठक बुलाएंगे।

अनुच्छेद VI
संशोधन

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद VII
विवाद समाधान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श या वार्ता से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

अनुच्छेद VIII
प्रभाव में आना, वैधता और पर्यावसान

यह समझौता ज्ञापन भारतीय गणतंत्र की सरकार को कुवैत राज्य की सरकार से इसकी आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के राजनयिक माध्यमों से एक लिखित अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से प्रभाव में आएगा।

यह समझौता ज्ञापन इसके प्रभाव में आने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा और एक वर्ष की क्रमिक अवधि के लिए स्वत: नवीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष इसकी समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले इसे समाप्त करने के विचार से दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों द्वारा लिखित में अधिसूचित करे।

इस समझौता ज्ञापन के पर्यावसान से शुरू की गई या चालू कार्यकलापों और परियोजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2013 को दो मूल प्रतियों में, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं में हस्ताक्षरित, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक और वैध तथा इनका समान विधिक प्रभाव होगा। तथापि, व्याख्या के संबंध में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारतीय गणतंत्र की सरकार के लिए	कुवैत राज्य की सरकार के लिए
(जितेन्द्र सिंह) युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	(अनस अल-सालेह) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री